

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 66 / 2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 201-202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डिस्ट्रीयल एरिया, जयपुर- 302020

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल**, जाति महाजन, निवासी सूतोद, तहसील नेछवा, जिला सीकर हाल निवासी पट्टा नम्बर 75, ग्राम सूतोद, तहसील नेछवा, जिला सीकर-332029
2. **सुशीला पत्नी भंवरलाल अग्रवाल**, जाति महाजन, निवासी सूतोद, तहसील नेछवा, जिला सीकर-332029
3. **अंकित पुत्र अशोक कुमार**, जाति महाजन, निवासी सूतोद, तहसील नेछवा, जिला सीकर-332029

-अप्रार्थीगण (ऋणी / बंधककर्ता)



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक:- 20 जनवरी, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विजय सिंह तंवर** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल, सुशीला पत्नी भंवरलाल अग्रवाल** एवं **अंकित पुत्र अशोक कुमार** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **पट्टा नम्बर 75, ग्राम सूतोद, तहसील नेछवा, जिला सीकर, 332029** में स्थित है। जिसका


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

कुल क्षेत्रफल 132.4888 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में मगनीराम की भूमि, पश्चिम दिशा में स्वयं की भूमि, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं मगनीराम की जमीन एवं दक्षिण दिशा में स्वयं की भूमि है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 3,50,000/- रुपये (अक्षरे रुपये तीन लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **09.05.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी स्वयं उपस्थित हुआ परन्तु बकाया ऋण भुगतान से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **09.05.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल, सुशीला पत्नी भंवरलाल अग्रवाल एवं अंकित पुत्र अशोक कुमार** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **अशोक कुमार**


(मुकुल शर्मा)
जिआ मजिस्ट्रेट, सीकर



पुत्र भंवरलाल के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा नम्बर 75, ग्राम सूतोद, तहसील नेछवा, जिला सीकर, 332029 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 132.4888 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में मगनीराम की भूमि, पश्चिम दिशा में स्वयं की भूमि, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं मगनीराम की जमीन एवं दक्षिण दिशा में स्वयं की भूमि है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 20 जनवरी, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर